कार्यालय – प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

College वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

इन्दौर, दिनांक : 04.04.2024

आवश्यक सूचना
MPTAAS Portal (Fresh/Renewal)
ST(PMS/AWAS)

उपायुक्त जनजातीय कार्य म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक पी.एम.एस. /242/2024–25/5988 भोपाल दिनांक 03/04/2024 के पत्र के परिपालन में महाविद्यालय सत्र 2022–23 एवं 2023–24 में नवीन / नवीनीकरण के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना के एम.पी.टॉस पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक 30 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। अतः समस्त विद्यार्थी निर्धारित दिनांक के पूर्व अपने छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना के आवेंदन करना सुनिश्चित करें ।

एम.पी.टॉस पोर्टल पर आवास सहायता योजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय दो किश्तो के आवेदन होते है अतःजिन विद्यार्थियो ने प्रथम किश्त का आवेदन कर दिया किन्तु द्वितीय किश्त का नही किया है वे भी उक्त दिनांक पूर्व अपने आवेदन करना सुनिश्चित करें। ऑनलाईन आवेदन करते समय यदि कोई तकनीकि त्रुटि आती है तो उसके समाधान के लिये कार्यालय में आकर संपर्क करे तथा आवश्यकता होने पर आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय इन्दौर में जाकर टिकिट जनरेट करवायें। सत्र 2022–23 में प्रवेशित जिन विद्यार्थियो के दोनो सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम आ गये है वे तत्काल कार्यालय में आकर पर रिजल्ट अपडेट करावे तथा अपने छात्रवृत्ति/ आवास का आवेदन करना सुनिश्चित करें।

निर्धारित अवधि के उपरांत यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति तथा आवास सहायता योजना आवेदन नही करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की रहेगी। इस स्थिति में यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा सी.एम हेल्पालाईन या अन्य किसी प्रकार की शिकायत की जाती है इसे संबंधित विद्यार्थी की लापरवाही मानकर उसकी जानकारी शासन एवं संबंधित विभाग को प्रेषित की जावेगी। अतः असुविधा से बचने हेतु संबंधित विद्यार्थी अपनी पात्रता के अनुसार आज ही अपने आवेदन छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से भरें।

पोर्टल बंद होने की अंतिम दिनांक 30/04/2024 है।

प्रभारी प्राचार्य,
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय
इन्दौर